न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

09 / 2024

श्री सैय्यद नजीर हसन एडवोकेट अदालत परिसर टोंक --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 1.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई–

दिनांक 1310 1960 को श्रीमती सादेका बेगम द्वारा एक हिबानामु फेज मोहम्मद खान सरदार मो0 खां बरकत अहमद का मोहम्मद अहमद खान एवं शेर जंग का के नाम उप पंजियक कार्यालय में रजिस्टर नंबर 1 जिल्द नं. 13 पेज नं. 393 से 398 एवं सीरियल नंबर 446 पर दर्ज है। जिसके साथ ब्लूप्रिंट भी था। उसे ब्लूप्रिंट की नकल उपलब्ध कराने की कृपा करें।
(नोट– पंजीयन कार्यालय के पत्र अनुसार नशे का रिकार्ड 1.08.1969 से 12.12.1969 तक एवं दिनांक 21.01.1975 से प्राप्त हुआ है 1960 का रिकॉर्ड आपके कार्यालय में ही है श्रीमान और पंजीयन के पत्र की फोटोकॉपी संलग्न हैं)

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोक को पत्र कमांक 258 दिनांक 11.03.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 2461 दिनांक 14.03.2024 से जवाब प्रेषित कर अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नही होने का उल्लेख किया है, परन्तु जवाब में यह अंकित नही किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकार्ड किस कार्यालय में जमा करवाया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक